(२५)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या– 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देश सं0: 285/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/54 ए-2018 दिनांक: 19/06/2021

ई–मेल द्वारा

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

अति महत्वपूर्ण

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2021–22 तदनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2022–23 के बजट द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 तद्नुरूप कर निर्धारण वर्ष 2022–23 हेतु नये बजट में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है, जिनका विवरण निम्नांकित हैः–

I. Section 194Q- TDS on Purchase of Goods

- यह धारा **01 जुलाई, 2021** से वस्तुओं की खरीद पर **(विद्युत क्रय पर भी)** स्रोत पर आयकर की कटौती (TDS on Purchase of Goods) के सम्बन्ध में है।
- इस धारा में TDS की देयता "Payment or Credit to the accounts whichever is earlier" पर उत्पन्न होगी। यदि कोई क्रेता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रू0 50 लाख से अधिक का क्रय करता है या क्रय की गयी वस्तु के लिए रू0 50 लाख से अधिक का भुगतान करता है तो उसे 0.1% की दर से टीडीएस काटकर भुगतान करना होगा। उदाहरण– यदि क्रेता वित्तीय वर्ष के दौरान रू0 75 लाख का क्रय करता है तो (75-50) 25 lakh पर 0.1% की दर से TDS काटा जायेगा।
- यह धारा उस केता पर लागू होगी जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में रू0 10 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर रहा हो।
- विक्रेता का PAN No. उपलब्ध न होने की स्थिति में 5% की दर से टीडीएस काटा जायेगा।
- यदि क्रेता उक्त धारा के अन्तर्गत टीडीएस की कटौती करने में असफल रहता है तो कुल Purchase Transaction जिस पर टीडीएस कटना चाहिए था, का 30% धारा 40A(1A) के अन्तर्गत Disallow कर दिया जायेगा (बिल उपलब्ध होने पर भी)।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 194Q के प्रावधान लागू नहीं होंगे–
  (i) जहां आयकर अधिनियम, 1961 की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत टीडीएस की कटौती की जानी हो;
  (ii) जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C के किसी प्रावधान (धारा 206C(1H) को छोड़कर) के अन्तर्गत TCS एकत्रित किया जाना हो।

चूंकि विद्युत भी एक वस्तु है, अतः विद्युत क्रय एवं विक्रय पर भी उपरोक्त प्रावधान प्रभावी होंगे। जैसा कि विदित है, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत का केता और विकेता दोनों है। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2019–20 तदनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2020–21 में आयकर अधिनियम 1961 में समाहित की गई धारा 206C(1H) के अन्तर्गत विद्युत विक्रय पर 01 अक्टूबर 2020 से 0.1 प्रतिशत की दर से TCS के प्रावधानों का अनुपालन कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

अतः क्रय पर धारा 194Q एवं विक्रय पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत देयता की निम्नांकित स्थितियाँ मुख्यतः उत्पन्न होती हैः–

I(a). जहाँ उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 क्रेता है–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विक्रेताओं/विद्युत उत्पादकों से रू0 50 लाख से अधिक के क्रय पर दिनांक 01.07.2021 से धारा 194Q के अन्तर्गत 0.1 प्रतिशत की दर से TDS काटा जाएगा।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत रू0 50 लाख की गणना में 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के क्रय को शामिल किया जाएगा।
- दिनांक 01.07.2021 से पूर्व के समस्त बीजकों पर धारा 206C(1H) के TCS प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
- दिनांक 01.07.2021 एवं उसके उपरान्त के सभी बीजकों पर धारा 194Q के प्रावधान प्रभावी होंगे। ऐसे बीजकों के भुगतान से पूर्व सभी आहरण–वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 01.04.2021 से वर्तमान तक सम्बन्धित विक्रेता से क्रय की कुल धनराशि रू0 50 लाख से अधिक है अथवा नहीं। यदि यह धनराशि रू0 50 लाख से अधिक है तो रू0 50 लाख के ऊपर की सम्पूर्ण धनराशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से TDS काट कर ससमय सरकार को जमा करना सुनिश्चित करें।
- विक्रेता का PAN उपलब्ध न होने की स्थिति में 0.1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से TDS काटा जाएगा।
- यह महत्वपूर्ण है कि धारा 194Q के अन्तर्गत TDS की देयता "Payment or Credit to the accounts whichever is earlier" के आधार पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार, भुगतान होने अथवा बीजक की तिथि, दोनों में से जो भी प्रकरण पहले होगा, उसी तिथि पर TDS की देयता उत्पन्न हो जाएगी चाहें वह बीजक Suspense A/c में ही क्यों ना लेखांकित कर दिया गया हो।
- जिन विक्रेता/विद्युत उत्पादकों द्वारा वर्तमान में धारा 206C(1H) के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से TCS संग्रहित किया जा रहा है, ऐसे विक्रेताओं/विद्युत उत्पादकों को समस्त आहरण वितरण अधिकारी Annexure-I में दिये गये प्रारूप में धारा 194Q के अन्तर्गत TDS कटौती सम्बन्धी declaration देना सुनिश्चित करें ताकि 01.07.2021 से कारपोरेशन पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS संग्रह से बचा जा सके।

I(b). जहाँ उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विक्रेता है एवं डिस्कॉम/केस्को क्रेता है–

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न डिस्कॉमों एवं केस्को को की जाने वाली विद्युत विक्रय पर भी धारा 194Q एवं धारा 206C(1H) के प्रावधान प्रभावी होंगे।

- दिनांक 01.07.2021 से उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा डिस्कॉम/केस्को को विक्रय की गई विद्युत की रू0 50 लाख से अधिक की धनराशि पर धारा 194Q के अन्तर्गत 0.1 प्रतिशत की दर से TDS काटने एवं जमा करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को का होगा।
- यदि सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को द्वारा 194Q के अन्तर्गत TDS नहीं काटा जाता है तभी उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS संग्रह करने का उत्तरदायित्व बनेगा।
- ध्यान देने योग्य है कि यदि डिस्कॉम/केस्को द्वारा धारा 194Q में TDS नहीं काटा जाता है तो यह डिस्कॉम/केस्को के स्तर पर धारा 194Q का Non-Compliance माना जाएगा।
  ऐसे में, यदि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS जमा भी कर दें, तब भी TDS Non-Compliance से सम्बन्धित Penalty, इत्यादि के प्रावधान सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को पर प्रभावी होंगे।

अतः सभी डिस्कॉम/केस्को द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे धारा 194Q के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि Penalty से बचा जा सके।

- उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सभी आहरण–वितरण अधिकारी यह जाँचना सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार के रू0 50 लाख से अधिक के विक्रय पर सम्बन्धित क्रेता द्वारा भुगतान के समय धारा 194Q में TDS काटा गया है अथवा नहीं। यदि 194Q में TDS ना कटा हो, तो भुगतान प्राप्ति पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत ससमय TCS जमा करना सुनिश्चित करें।

  चूंकि धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS की देयता "receipt of sales" के समय उत्पन्न होती है, अतः भुगतान (अग्रिम भुगतान सहित) पर सदैव 206C(1H) के प्रावधानों का प्रभाव जाँचना एवं अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही, ससमय TCS का केन्द्र सरकार के खाते में भुगतान करना एवं इसका ससमय Return file करना सुनिश्चित करें।

I(c). डिस्कॉम/केस्को द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय किये जाने पर–

किसी भी विद्युत उपभोक्ता को चालू वित्तीय वर्ष में विक्रय की गई विद्युत की धनराशि रू0 50 लाख से अधिक होते ही, उस पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS के प्रावधान प्रभावी होंगे।

साथ ही, जिन विद्युत उपभोक्ताओं का Turnover पिछले वित्तीय वर्ष में रू0 10 करोड़ से अधिक है, उनके द्वारा दिनांक 01.07.2021 से धारा 194Q के अन्तर्गत TDS काटने के प्रावधान प्रभावी होंगे।

उपरोक्त परिस्थिति में डिस्कॉम/केस्को को रू0 50 लाख से अधिक विद्युत विक्रय के प्रकरणों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त भुगतान धारा 194Q अन्तर्गत TDS काटे जाने के उपरान्त हुआ है अथवा नहीं। यदि धारा 194Q अन्तर्गत TDS नहीं काटा गया है, तब ही सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS के भगुतान का दायित्व बनेगा।

डिस्कॉम/केस्को अपने स्तर पर ऐसे उपभोक्ताओं को अपना पैन नंबर उपलब्ध करा दे, ताकि उपभोक्ता द्वारा TDS के मद में काटी गयी धनराशि सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को के पैन नंबर पर परिलक्षित हो सकें एवं डिस्कॉम/केस्को आयकर विवरणी में उसका क्रेडिट प्राप्त किया जा सके।

I(d). क्रय–विक्रय के अन्य प्रकरण–

उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा भी यदि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किसी विक्रेता से रू0 50 लाख से अधिक का क्रय किया जाता है, तो समस्त आहरण–वितरण अधिकारी उस पर 01.07.2021 से धारा 194Q के अन्तर्गत 0.1 प्रतिशत की दर से TDS की कटौती कर ससमय सरकार को जमा कराना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार, उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा भी यदि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति/संस्था से रू0 50 लाख से अधिक का विक्रय किया जाता है, तो 01.07.2021 से भुगतान प्राप्ति के समय समस्त आहरण–वितरण अधिकारी यह जाँचना सुनिश्चित करें कि उपरोक्त भुगतान पर धारा 194Q अन्तर्गत TDS काटा गया है अथवा नहीं। यदि धारा 194Q अन्तर्गत TDS नहीं कटा है तब ऐसे भुगतान पर धारा 206C(1H) के अन्तर्गत TCS संग्रह करना एवं ससमय सरकार के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(नोटः– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206C(1H) के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पत्रांक 395/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020/TCS दिनांक 17.09.2020 द्वारा पूर्व में ही जारी किये जा चुके है।)

II **Tax on interest income from provident fund contributions of employees exceeding Rs. 2.50 lakhs.**

a. अंशदायी भविष्य निधि (CPF):

Finance Bill 2021 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) एवं 10(12) में किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक **01 अप्रैल 2021 से** चालू वित्तीय वर्ष में अंशदायी भविष्य निधि में कार्मिक द्वारा रू0 2,50,000/– से अधिक धनराशि का अंशदान करने पर रू0 2,50,000/– से अधिक जितनी भी धनराशि होगी, उस पर अर्जित ब्याज पर Prevailing Income Tax दर से आयकर देय होगा।

उदाहरणः यदि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अंशदायी भविष्य निधि में किसी कार्मिक का कुल अंशदान रू0 3,50,000/– हो तो रू0 1,00,000/– (3,50,000-2,50,000=1,00,000) पर अर्जित ब्याज आयकर योग्य होगा।

इस सम्बन्ध में समस्त आहरण वितरण अधिकारी कार्मिक का अंशदायी भविष्य निधि में रू0 2,50,000/– से अधिक का अंशदान होने पर सम्बन्धित कार्मिक को Annexure-II में संलग्न प्रारूप में अंशदायी भविष्य निधि में उनके अंशदान सम्बन्धित सर्टिफिकेट जारी करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त गणना में केवल Employee Contribution पर अर्जित ब्याज लिया जाएगा। Employer Contribution का उपरोक्त गणना पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

b. सामान्य भविष्य निधि (GPF):

Finance Bill 2021 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) एवं 10(12) में किये गये संशोधनों के अनुसार, चूंकि सामान्य भविष्य निधि में केवल कार्मिक का ही अंशदान होता है एवं नियोक्ता द्वारा सामान्य भविष्य निधि में कोई भी अंशदान नहीं किया जाता, अतः दिनांक **01 अप्रैल 2021** से चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि में कार्मिक द्वारा रू0 5,00,000/– से अधिक धनराशि का अंशदान करने पर रू0 5,00,000/– से अधिक जितनी भी धनराशि होगी, उस पर अर्जित ब्याज पर Prevailing Income Tax दर से आयकर देय होगा।

उदाहरणः यदि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु सामान्य भविष्य निधि में किसी कार्मिक का कुल अंशदान रू0 7,00,000/– हो तो रू0 2,00,000/– (7,00,000-5,00,000=2,00,000) पर अर्जित ब्याज आयकर योग्य होगा।

इस सम्बन्ध में समस्त आहरण वितरण अधिकारी कार्मिक का सामान्य भविष्य निधि में रू0 5,00,000/– से अधिक का अंशदान होने पर सम्बन्धित कार्मिक को Annexure-III में संलग्न प्रारूप में अंशदायी भविष्य निधि में उनके अंशदान सम्बन्धित सर्टिफिकेट जारी करना सुनिश्चित करें।

III. **Disallowance u/s 43B on late deposit of PF contribution to PF fund.**

धारा 43B के अन्तर्गत, Employer द्वारा Employee Contribution जिस वर्ष में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट में जमा कराया जाता था, उस धनराशि का deduction उस वित्तीय वर्ष में क्लेम किया जा सकता था परन्तु Finance Bill, 2021 द्वारा धारा 43B में किये गये संशोधन के अनुसार यदि Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 में प्राविधानित निर्धारित समय सीमा के अन्दर Employee Contribution अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/ उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट में जमा नहीं कराया गया तो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करते समय Employee Contribution की देर से जमा की गयी राशि का Deduction Claim नहीं किया जा सकेगा। **दिनांक 01 अप्रैल, 2021** से यह धारा 43B के अन्तर्गत पूर्णतः disallow कर दिया जायेगा अर्थात निर्धारित समय सीमा के बाद जमा करायी गयी धनराशि का क्लेम कभी नहीं किया जा सकेगा।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी Employee Contribution को Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 में प्रावधानित निर्धारित समय सीमा के अन्दर UPPCL CPF TRUST/U.P. State Power Sector Employees Trust (for GPF) में जमा कराना सुनिश्चित करें।

IV. Section 206AB and Section 206CCA- Special Provision for TDS and TCS at higher rates on non-filers of I.T. Return.

1. धारा 206AB एवं धारा 206CCA के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित व्यक्ति/संस्थान पर बिन्दु संख्या 3 एवं 4 पर अंकित दर से क्रमशः TDS/TCS काटा/संग्रहित किया जायेगा। यह धारा **दिनांक 01 जुलाई, 2021** से लागू होगी।
2. धारा 206AB एवं धारा 206CCA निम्नांकित पर लागू होती हैः–
   - (i) ऐसे व्यक्ति/संस्थान जिसने, जिस वर्ष में TDS/TCS काटा/संग्रहित किया जाना है, के पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल न किया हो, तथा
   - (ii) ऐसे व्यक्ति/संस्थान जिनकी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि निकल चुकी हो, एवं
   - (iii) जहाँ बिन्दु संख्या (i) पर इंगित पिछले दोनों वर्षों में उस व्यक्ति/संस्थान पर कटने वाले TDS एवं संग्रहित होने वाले TCS की कुल धनराशि रू0 50,000/– या उससे अधिक हो।
3. धारा 206AB(1) के अन्तर्गत निम्नांकित दरों में से जो सबसे **अधिक** हो, से TDS काटा जायेगाः
   - (i) Twice the rate specified in the relevant provision of the act;
   - (ii) At twice the rate or rates in force; or
   - (iii) At the rate of 5%
4. इसी प्रकार धारा 206CCA के अन्तर्गत निम्नांकित दरों में से जो **अधिक** हो, से TCS लगाया जाना चाहिएः–
   - (i) At twice the rate specified in the relevant provision of the act; or
   - (ii) At the rate of 5%
5. धारा 206AB उन प्रकरणों पर लागू नहीं होती है जहां धारा 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एवं 194N के अन्तर्गत TDS काटा जाता है।
6. धारा 206AB(2) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने धारा 206AA में PAN नहीं उपलब्ध कराया हो एवं धारा 206AB में पिछले दो वर्षों में रिटर्न भी न दाखिल किया हो तो उस स्थिति में धारा 206A एवं धारा 206AB में से जिसकी दर **अधिक** हो उस दर से TDS लगाया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त आहरण वितरण अधिकारी Annexure-IV में संलग्न प्रारूप में सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से Declaration प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

साथ ही, जहाँ भी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के PAN पर TDS/TCS कटता/संग्रहित किया जाता है समस्त आहरण वितरण अधिकारी उन सभी व्यक्ति/संस्थानों को Annexure-IVA के प्रारूप में Declaration देना सुनिश्चित करें जिससे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर उच्च दर से TDS/TCS कटने/संग्रहित होने से बचा जा सके। इस हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 (कर निर्धारण वर्ष 2020–21) के ITR Acknowledgement की प्रति Annexure-IVA के साथ संलग्न है।

(V) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

(i) समस्त आहरण–वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये भुगतानों पर Deductor द्वारा काटा गया TDS उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के ही PAN पर परिलक्षित हो।
अग्रेतर, डिस्कॉम/केस्को भी यह ध्यान दें कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये भुगतानों पर Deductor द्वारा काटा गया TDS सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को के ही PAN पर परिलक्षित हो।
अतः सम्बन्धित Deductor को सही PAN उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ii) **Deposit of Income Tax TDS deducted by Units:–**
कटौती की गयी आयकर TDS की राशि को ससमय तथा आयकर अधिनियम की सही धारा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें। आयकर प्राविधानों के अनुसार आयकर TDS जमा करने की अंतिम तिथियाँ इस प्रकार है:–

माह जिससे सम्बन्धित कटौती की गई हो	आयकर TDS जमा करने की निर्धारित तिथि
April	7th May
May	7th June
June	7th July
July	7th August
August	7th September
September	7th October
October	7th November
November	7th December
December	7th January
January	7th February
February	7th March
March	30th April

यदि काटी गई आयकर TDS की राशि को ससमय जमा नहीं किया जाता हैं तो इस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1A) के प्राविधानों के अनुसार 1.5% Per Month की दर से ब्याज (कटौती माह से लेकर जमा करने के माह तक) लग जाता है जिसका वहन संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को करना होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आयकर TDS की राशि को सही समय पर तथा सही धारा में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) **Filing of Income Tax TDS returns:–**

जैसा कि ज्ञात है, आयकर TDS की कटौती के संबंध में आयकर TDS Returns प्रत्येक तिमाही का फाइल करना आवश्यक हैं। जिसके लिये निम्नलिखित Income Tax Forms निर्धारित है:–

(i) Form 24Q- वेतन के भुगतान पर की गयी आयकर TDS की कटौती के लिए।
(ii) Form 26Q- वेतन के अलावा किये गये भुगतान पर की गयी आयकर TDS की कटौती के लिए।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत आयकर TDS Returns File करने के लिए Due Dates निम्नवत है :–

	वेतन के भुगतान पर TDS	वेतन के अतिरिक्त भुगतान पर TDS
Quarter Ending	**Form 24Q**	**Form 26Q**
30th June	31st July	31st July
30th Sept	31st October	31st October
31st Dec	31st January	31st January
31st March	31st May	31st May

यदि आयकर TDS Returns सही समय पर फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234E के प्राविधानों के अनुसार Rs. 200/– प्रतिदिन (अधिकतम काटे गये आयकर TDS के बराबर) की Late फाइलिंग फीस तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271H के प्राविधानों के अनुसार कम से कम Rs. 10,000/– तथा अधिकतम Rs. 1,00,000/– की पेनाल्टी लगायी जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी आयकर TDS Returns की फाइलिंग सही समय पर किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आयकर विभाग द्वारा लगायी गयी समस्त ब्याज एवं पेनाल्टी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

यदि केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से उपरोक्त तिथियों में कोई बदलाव किया जाता है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी उपरोक्त समस्त धाराओं का अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरोक्त।

(सुधीर आर्या)
निदेशक (वित्त)

दिशा–निर्देश सं0: 285/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2021/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को **इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपनी कम्पनी के स्तर पर अलग से दिशा–निर्देश निर्गत करें।**
5. अधिशासी निदेशक/मुख्य महाप्रबन्धक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. सचिव ट्रस्ट, उ0 प्र0 पावर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को, कानपुर।
8. महाप्रबन्धक, औद्योगिक सम्बन्ध, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

9. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को **इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।**
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उपसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि/सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी (जी0पी0एफ0–ट्रस्ट)/(सी0पी0एफ0–ट्रस्ट), उ0 प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

19/6/2021

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक
(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

Annexure – I

Format of Declaration for deduction of TDS under Section 194Q of the Income Tax Act, 1961

Declaration for deduction of TDS under Section 194Q of the Income Tax Act,1961

To Whom So Ever It May Concern

We, **Uttar Pradesh Power Corporation Limited**, having Permanent Account Number **AACU5088M**, are resident in India and hereby declare that pursuant to Section 194Q of the Income Tax Act, 1961, we shall deduct TDS @0.1% on M/s ________________________(Name of deductee) on account of purchase of electricity/goods, subject to fulfillment of conditions as specified in Section 194Q, for FY 2021-22 and onwards, with effect from 1st July, 2021.

Accordingly, we request M/s________________(Name of deductee) not to collect TCS u/s 206C(1H) from us.

Any consequences of non-compliance of Section 194Q shall be borne by us.

I/We hereby declare that I/we am/are duly authorized to give this declaration.

(Signature)

Name:

Designation:

Name of UPPCL unit:

Date:

Place:

Annexure – II

अंशदायी भविष्य निधि (CPF) में रू0 2,50 ,000/– से अधिक अंशदान के सम्बन्ध में

कार्मिक का नामः

ऑडिट संख्या/कर्मचारी आई0डी0: सी0पी0एफ0 संख्याः

वित्तीय वर्षः कर निर्धारण वर्षः

सूचित किया जाता है किः

1. वित्तीय वर्ष 20.......–20....... हेतु कार्मिक का अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान रू0 2,50,000/– से रू0 ....अधिक है।
2. बिन्दु संख्या 1 पर अंकित रू0 2,50,000/– के ऊपर की धनराशि पर कुल अर्जित ब्याज रू0............................. है।
3. अंशदायी भविष्य निधि में बिन्दु संख्या 02 पर अंकित अर्जित ब्याज आयकर योग्य है, जिसको सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को सूचना देकर अथवा स्वयं Self assessment tax के रूप में कार्मिक द्वारा जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांकः **(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)**

Annexure – III

सामान्य भविष्य निधि (GPF) में रू0 5,00,000/– से अधिक अंशदान के सम्बन्ध में

कार्मिक का नाम:

ऑडिट संख्या/कर्मचारी आई0डी0: जी0पी0एफ0:

वित्तीय वर्ष: कर निर्धारण वर्ष:

सूचित किया जाता है कि:

1. वित्तीय वर्ष 20.......–20....... हेतु कार्मिक का सामान्य भविष्य निधि का अंशदान रू0 5,00,000/– से रू0 ....अधिक है।
2. बिन्दु संख्या 1 पर अंकित रू0 5,00,000/– के ऊपर की धनराशि पर कुल अर्जित ब्याज रू0......................... है।
3. सामान्य भविष्य निधि में बिन्दु संख्या 02 पर अंकित अर्जित ब्याज आयकर योग्य है, जिसको सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को सूचना देकर अथवा स्वयं Self assessment tax के रूप में कार्मिक द्वारा जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

दिनांक: **(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)**

Annexure – IV

Format of Declaration to be obtained for not imposing TDS Rate as per Section 206AB & 206CCA of the Income Tax Act, 1961

Declaration for not imposing TDS Rate as per Sec. 206AB & TCS Rate as per Sec 206CCA of the Income Tax Act

To Whom So Ever It May Concern

I/We, ________________, having Permanent Account Number ________________, am/are resident in India and hereby declare as follows:

1. I/We have filed my/our Return of Income for the preceding Financial Year 2018-19 relevant to the Assessment Year 2019-20. The date of filing is ___________ and the Acknowledgement Number issued by the Income Tax Department evidencing the filing of the tax return is _____________. The copy of the screenshot of the ITR Acknowledgement evidencing the filing of the above tax return is

2. I/We have filed my/our Return of Income for the preceding Financial Year 2019-20 relevant to the Assessment Year 2020-21. The date of filing is ___________ and the Acknowledgement Number issued by the Income Tax Department evidencing the filing of the tax return is ______________. The copy of the screenshot of the ITR Acknowledgement evidencing the filing of the above tax return is

3. This point is applicable only if a tax return has not been filed as stated above:

Where I/We have not filed my Return of Income for both the preceding two Financial Years 2019-20 and 2020-21, I/We hereby confirm that the aggregate tax deducted and tax collected at source is /is not Rs. 50,000/- or more in each of the two preceding Financial Years 2019-20 and 2020-21.

4. I/We hereby declare that I/we am/are duly authorized to give this declaration and the information stated above is true to the best of my/our knowledge and belief. If there is any misdeclaration, I/we undertake to indemnify you/your organisation; for any interest or any penal consequences.

(Signature)

Name:

Designation:

Date:

Place:

Annexure – IVA

Format of Declaration to be given by UPPCL for not imposing TDS Rate as per Section 206AB & 206CCA of the Income Tax Act, 1961

Declaration for not imposing TDS Rate as per Sec. 206AB & TCS Rate as per Sec 206CCA of the Income Tax Act

To Whom So Ever It May Concern

We, **Uttar Pradesh Power Corporation Limited**, having Permanent Account Number **AAACU5088M**, are resident in India and hereby declare as follows:

1. We have filed our Return of Income for the preceding Financial Year ________ relevant to the Assessment Year _______. The date of filing is ___________ and the Acknowledgement Number issued by the Income Tax Department evidencing the filing of the tax return is _____________. A copy of the ITR Acknowledgement evidencing the filing of the above tax return is enclosed.

2. Further, We have filed our Return of Income for the preceding Financial Year _______ relevant to the Assessment Year _______. The date of filing is ___________ and the Acknowledgement Number issued by the Income Tax Department evidencing the filing of the tax return is ______________. A copy of the ITR Acknowledgement evidencing the filing of the above tax return is enclosed.

3. I/We hereby declare that I/we am/are duly authorized to give this declaration and the information stated above is true to the best of my/our knowledge and belief. If there is any misdeclaration, I/we undertake to indemnify you/your organisation for any interest or any penal consequences.

(Signature)

Name:

Designation:

Name of UPPCL unit:

Date:

Place:

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4 , ITR-5, ITR-6,ITR-7 filed and verified electronically]

Assessment Year **2019-20**

PERSONAL INFORMATION AND THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

Name	U.P. POWER CORPORATION LIMITED	**PAN**	AAACU5088M
Flat/Door/Block No	14	**Name Of Premises/Building/Village**	SHAKTI BHAWAN
Road/Street/Post Office	ASHOK MARG	**Area/Locality**	HAZRATGANJ
Form Number.	ITR-6	**Status**	Plc Company
Town/City/District	LUCKNOW	**State**	UTTAR PRADESH
Pin/ZipCode	226001	**Filed u/s**	139(1)-On or before due date
Assessing Officer Details (Ward/Circle)	DCIT-6, LUCKNOW-NEW		
e-filing Acknowledgement Number	234877081301019		

COMPUTATION OF INCOME AND TAX THEREON

1	Gross total income				1	0
2	Total Deductions under Chapter-VI-A				2	0
3	Total Income				3	0
3a	Deemed Total Income under AMT/MAT				3a	0
3b	Current Year loss, if any				3b	0
4	Net tax payable				4	0
5	Interest and Fee Payable				5	0
6	Total tax, interest and Fee payable				6	0
7	Taxes Paid	a Advance Tax	7a	0		
		b TDS	7b	12966284		
		c TCS	7c	0		
		d Self Assessment Tax	7d	0		
		e Total Taxes Paid (7a+7b+7c +7d)			7e	12966284
8	Tax Payable (6-7e)				8	0
9	Refund (7e-6)				9	12966280
10	Exempt Income	Agriculture		0	10	0
		Others		0		

Income Tax Return submitted electronically on 30-10-2019 19:31:25 from IP address 122.163.153.36 and verified by SUDHIR ARYA having PAN AAAPA2077P on 30-10-2019 19:31:25 from IP address 122.163.153.36 using **Digital Signature Certificate (DSC)**

DSC details: 2366856605967856522CN=SafeScrypt sub-CA for RCAI Class 2 2014,OU=Sub-CA,O=Sify Technologies Limited,C=IN

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)	Assessment Year **2020-21**

PAN	AAACU5088M		
Name	U. P. POWER CORPORATION LIMITED		
Address	14, SHAKTI BHAWAN, ASHOK MARG, HAZRATGANJ, LUCKNOW, UTTAR PRADESH, 226001		
Status	Plc Company	**Form Number**	ITR-6
Filed u/s	139(1)-On or before due date	**e-Filing Acknowledgement Number**	250856131110221

Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	0
	Total Income		0
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	0
	Net tax payable	4	0
	Interest and Fee Payable	5	0
	Total tax, interest and Fee payable	6	0
	Taxes Paid	7	41368984
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	-41368980
Dividend Distribution Tax details	Dividend Tax Payable	9	0
	Interest Payable	10	0
	Total Dividend tax and interest payable	11	0
	Taxes Paid	12	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	14	0
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0
	Interest payable u/s 115TE	16	0
	Additional Tax and interest payable	17	0
	Tax and interest paid	18	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0

Income Tax Return submitted electronically on 11-02-2021 14:41:43 from IP address 110.226.216.210 and verified by SUDHIR ARYA

having PAN AAAPA2077P on 11-02-2021 14:41:43 from IP address 110.226.216.210 using **Digital Signature Certificate (DSC).**

DSC details: 50507751CN=Capricorn CA 2014,2.5.4.51=#131647352c56494b4153204445545502042554 94c44494e47,STREET=18\,LAXMI NAGAR DISTRICT CENTER,ST=DELHI,2.5.4.17=#1306313130303932,OU=Certifying Authority,O=Capricorn Identity Services Pvt Ltd.,C=IN

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU